LATEST

NEWS

Election

Date : 13th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पंजाब केसरी
SAT,13 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

राजस्थान की विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक बनीं आईएएस रोहिणी

जयपुर, 12 दिसंबर (विसं) : ईसीआई ने मुख्य राज्यों में एसआईआर के लिए राजस्थान की विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक आईएएस रोहिणी भाजीभाकरे को नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भाजीभाकरे ने कार्य शुरू कर दिया है और फरवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे राज्य में सप्ताह में दो दिन मौजूद रहेंगी।

वह राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय सभी राजनीतिक दलों के राज्य व जिलास्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें भी करेंगी। वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगी ताकि संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी व सहभागितापूर्ण ढंग से पूरी हो।

दैनिक भास्कर

जयपुर 13-12-2025

IAS रोहिणी SIR की विशेष पर्यवेक्षक

जयपुर | प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल नहीं हो इसी काम की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव आयोग ने (स्पेशल रोल ऑब्जरवर-एसआरओएस) की नियुक्ति की है। आईएएस रोहिणी भाजीभाकरे इस काम का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे संबंधित राज्यों में सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगे। एसआरओ अब यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के साथ भी भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगे कि संपूर्ण प्रक्रिया सुचारु, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण ढंग से पूरी हो।

SIR: 16 lakh Raj voters face verification requirements

About 30 Voters Per Polling Stn Will Have To Provide Docus

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The submission period for enumeration forms under the Special Intensive Revision (SIR) has concluded Thursday.

Approximately 3% of voters, out of 5.4 crore in Rajasthan, equating to over 16 lakh individuals or an average of 30 voters per polling station, are required to present one of the 13 specified documents for verification in the upcoming second phase of SIR, as mandated by the Election Commission of India.

According to the election department data, mapping of 97% of voters was completed, meaning only 3% of voters need to submit documents during the claims-objections phase. On an average, about 30 voters per polling station will need to provide documents, according to the state's election department.

PTI

Approximately 3% of voters, out of 5.4 crore in Rajasthan, need to submit documents during the claims-objections phase (File photo)

The 13 documents that these 16 lakh voters can submit include any ID card or pension payment order issued to a regular employee or pensioner of any central govt, state govt, or public sector undertaking; any ID card, certificate, or document issued by govt, local authorities, banks, post office, LIC, or public sector undertaking issued before July 1, 1987; birth certificate issued by a competent authority; and passport.

The other documents are a matriculation certificate or educational certificate by a recognised board or university; permanent residence certificate issued by a competent state authority; forest rights certificate; OBC/SC/ST or any caste certificate issued by a competent authority; national register of citizens (wherever it exists); family register prepared by state or local authorities; any land or house allotment certificate issued by govt; Aadhaar (only as proof of identity and not of citizenship); and extract from the Bihar SIR electoral roll as of July 1, 2025.

ECI on Friday appointed Rohini Bhajibhakare (IAS) as Special Electoral Roll Observer for overseeing the SIR of electoral roll in Rajasthan.

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू समुदाय का राज्य स्तरीय सम्मेलन

'एसआइआर प्रक्रिया में मिले विशेष रियायत'

पत्रिका
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. 'प्रदेश का घुमंतू समुदाय वर्तमान में स्थायी पते और दस्तावेजों की कमी के कारण अपनी प्रमाणिक पहचान, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित है। ऐसे में इनके बच्चे और युवा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों से काफी दूर हैं।' कुछ इस तरह के विचार शुक्रवार को वैशाली नगर में हुए विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू समुदाय के राज्य स्तरीय सम्मेलन में निकलकर सामने आए। 'घुमंतू सांझा मंच राजस्थान और एक्शन एड एसोसिएशन के बैनर तले सम्मेलन में 12 जिलों के करीब 500 स्थानीय नेताओं ने भाग लिया।

एसोसिएशन की प्रदेश प्रभारी सिओन किंगोरी ने बताया कि घुमंतू समुदाय की विभिन्न जातियों के लोग विकास से काफी अछूते हैं। इसके लिए सरकार के प्रत्येक विभाग में घुमंतु समुदाय के उत्थान को लेकर विशेष गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता पारस बंजारा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान घुमंतू समुदाय को स्थाई पते और निवास प्रमाण पत्र के अभाव में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समुदायों को एसआइआर अभियान विशेष शिथिलता दी जानी चाहिए।

जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह तथा प्रो. मोतीलाल ने भी संबोधित किया।

बंगाल एसआईआर में 58 लाख नाम कटे

चुनाव आयोग ने बताया कि एक लाख फर्जी वोटर्स भी मिले हैं

कोलकात, 12 दिसंबर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में अब तक मरे हुए वोटर्स की संख्या 24 लाख 18 हजार 699 हैं। इसके अलावा, 12 लाख 1 हजार 462 लोग नहीं मिले हैं। अगर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) किसी वोटर को ढूंढ ने के लिए उसके घर तीन या उससे ज्यादा बार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वोटर नहीं मिलता है, तो उसे मिसिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है।

- **चुनाव आयोग ने बताया कि 24 लाख से ज्यादा वोटर मर चुके है तथा 12 लाख से ज्यादा लापता हैं तथा 19 लाख के लगभग लोगों ने पता बदल लिया है।**

इसके अलावा, इस राज्य में कुल 19 लाख 93 हजार 87 वोटरों ने अपना पता बदल लिया है। उनके नाम एक से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में थे। चुनाव आयोग ने राज्य में कुल 1 लाख 37 हजार 575 वोटरों की पहचान फर्जी के तौर पर की है। उनके नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे। इसके अलावा, 57 हजार 509 और लोगों को अन्य लिस्ट में रखा गया था, उन्हें भी बाहर किया गया है। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। अगर उस लिस्ट में कोई शिकायत या गलती है, तो कमीशन को बताया जाए, उसके आधार पर सुनवाई होगी।

कमीशन सबूतों को वेरिफ़ाई करने के बाद फ़ाइनल लिस्ट तैयार करेगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर अपडेट ये है कि अभी तक 99.99 फीसदी फॉर्म बांटे जा चुके हैं लेकिन 99.86 फीसदी फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं।

पंजाब केसरी
SAT, 13 DECEMBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

एसआईआर के विरोध में फ्लॉप होगी कांग्रेस की रैली : पटेल

जयपुर, 12 दिसम्बर (ब्यूरो) : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में 14 दिसंबर को एसआईआर के विरोध में कांग्रेस रैली को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। यह रैली फ्लॉप शो

साबित होगी। पटेल ने कहा कि कांग्रेस की तथाकथित रैली या आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलेगा। रैली को लेकर कांग्रेस भले कितने ही दावे करें, लेकिन हकीकत यही है इसमें राजस्थान से कोई जाने वाला नहीं है। देश का कोई नागरिक एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा। कांग्रेस इसे जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद गवाह हूं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि बीएलए 2 का काम बहुत अच्छा है, सब इसमें भागीदारी से जुड़े। अब कैसे वे इसका विरोध कर रहे हैं, समझ से परे हैं। कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कई राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को पता लगा कि राजस्थान से लोग रैली में नहीं आ रहे हैं तो उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना पड़ा। एसआईआर देश के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देती है।

राजस्थान में एसआईआर अवलोकन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआई आर)के अवलोकन के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों (एसआरओ) की नियुक्ति की है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि आईएएस रोहिणी भाजीभाकरे राजस्थान में मतदाता सूची के एसआई आर के अवलोकन के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं।उन्होंने बताया कि एसआरओ ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे इन राज्यों में सप्ताह में दो दिन मौजूद रहेंगे।एसआरओ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी राजनीतिक दलों के राज्य और जिला स्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। एसआरओ यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों(सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों(डीईओ) के साथ भी भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगे।एसआरओ एसआई आर की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

पंचायत-निकाय चुनाव: फिलहाल केन्द्रीय निर्वाचन आयोग से नहीं मिल पाएंगी ढाई लाख ईवीएम मशीनें

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राज्य सरकार ने पंचायत और निकायों के चुनाव मार्च-अप्रैल में दो चरणों में कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग दिल्ली से ढाई लाख ईवीएम मशीनों की मांग पर फिलहाल आयोग ने ईवीएम देने में असमर्थता जता दी है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन प्रक्रिया के तहत पंचायतीराज की त्रिस्तरीय प्रणाली और निकायों की प्रणाली के तहत चुनाव संभावित रूप से मार्च-अप्रैल में कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायतीराज त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायतों में पंच-सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषदों में सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख और निकायों में पार्षद, अध्यक्ष, चेयरमैन, मेयर के एक साथ चुनाव कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव बी.श्रीनिवास और मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े अफसर कई बार बैठकें करके मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल में पंचायत-निकाय चुनाव कराने की कवायद कर रहे हैं। ये अफसर पंचायतीराज, नगरीय विकास विभाग और ओबीसी आयोग के साथ भी बैठकें कर लगातार चर्चा कर रहे हैं।

वहीं, राज्य सरकार ने पंचायतीराज विभाग के माध्यम से सभी जिलों में जिला कलक्टरों को पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वार्डों का पुनर्गठन करने संबंधी निर्देश पत्र भेजने की तैयारी की है, जिसके तहत जनवरी महीने तक पंचायतीराज पदों के वार्डों का पुनर्गठन करने पर काम चल रहा है। नगर निकायों के वार्डों का पहले ही पुनर्गठन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूला बना चुनौती

पंचायत-निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूले के तहत कराना भी सरकार के लिए चुनौती बन गया है। प्रदेश में भी भी 12 जिला प्रमुखों और 75 प्रधानों का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त होगा। ऐसे में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी चुनाव कराना संभव नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय से राजस्थान की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं से जुड़ी तीन हजार करोड़ रुपए की राशि भी अटक गई है। यह राशि मौजूदा सरपंचों की मौजूदगी पर ही मिलेगी, लेकिन राजस्थान में सरपंचों की जगह प्रशासक लगाए जा चुके हैं और मंत्रालय के पास प्रशासकों को राशि जारी करने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार इस राशि को हासिल करने के लिए रास्ता निकालने में लगी हुई है।

पंचायत-निकाय चुनाव तैयारियों के लिए आयोग और सरकार में अभी कई स्तर पर चर्चाएं जारी हैं। तैयारियों से पहले ईवीएम मशीनों के लिए हमने निर्वाचन आयोग दिल्ली को पत्र लिखकर आग्रह किया है। पंचायत-निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूले के तहत कई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जारी है। सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा के बाद चुनावों के बारे निर्णय लिया जाएगा।

राजेश्वर सिंह, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग

सूरसागर विधानसभा में मतदाता सूची पुनरीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बीएलओ व पर्यवेक्षकों को मिला सम्मान

जोधपुर/ नवज्योति। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल के निर्देशों की पालना में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में फोटोयुक्त मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत मतदाताओं की मैपिंग, गणना प्रपत्रों का वितरण–संग्रहण तथा उनका ऑनलाइन डाटा अपलोड करने का कार्य 11 दिसंबर तक सतत रूप से संपादित किया गया। इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में कई बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों ने प्रारम्भिक अवधि में ही शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट, प्रतिबद्ध एवं अनुकरणीय कार्य के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) प्रीतम कुमार (IAS) की ओर से इन्हें सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिए।

बीएलओ के अनुभव उनकी जुबानी

हेमलता टहलानी (बीएलओ, भाग संख्या 212, सूरसागर) ने बताया, शुरुआत में कार्य को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे-धीरे पूरी प्रक्रिया की समझ होने के बाद मैपिंग सुचारू रूप से पूर्ण कर ली गई। सबसे बड़ी चुनौती बाहर रहने वाले मतदाताओं को ढूंढने की रही। **प्रदीप ओझा** (बीएलओ, भाग संख्या 97, सूरसागर) ने समय पर और सटीक मैपिंग किए जाने की जानकारी दी। उनकी सबसे बड़ी समस्या बाहर से शादी कर आई महिलाओं को ढूंढने की रही। परिवारों में कई बार जाकर समझाने के बाद उनकी मैपिंग पूर्ण की जा सकी। **कुलदीप राजपुरोहित** (बीएलओ, भाग संख्या 103, सूरसागर) ने बताया, मैपिंग 20 तारीख को ही पूर्ण कर दी गई थी। बाहर रहने वाले मतदाताओं को खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन निरंतर प्रयास से शत-प्रतिशत मैपिंग संभव हो पाई। **अंकुश शर्मा** (बीएलओ, भाग संख्या 106, सूरसागर) ने बताया, नव-मतदाता और पुत्रवधू की मैपिंग सबसे चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन लगनपूर्वक प्रयासों से संपूर्ण कार्य समय पर कर लिया गया। **मोती गिरी गोस्वामी** (बीएलओ, भाग संख्या 33, सूरसागर) ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की दो स्थानों पर नाम दर्ज होने के कारण मैपिंग में बाधाएं आती थीं। समझाइर्श और सत्यापन के बाद समस्या का समाधान कर शत-प्रतिशत मैपिंग पूर्ण की गई।

मुख्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हेतु ईसीआई द्वारा विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

जयपुर । भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अवलोकन हेतु विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। मुखय् निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि रोहिणी भाजीभाकरे राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अवलोकन हेतु विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि एसआरओ ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे इन राज्यों में सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगे। एसआरओ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी राजनीतिक दलों के राज्य और जिला स्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। एसआरओ यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगे कि संपूर्ण प्रक्रिया सुचारु, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण ढंग से पूरी हो।

राजस्थान की विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक बनीं आईएएस रोहिणी

जयपुर, 12 दिसंबर (विसं) : ईसीआई ने मुख्य राज्यों में एसआईआर के लिए राजस्थान की विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक आईएएस रोहिणी भाजीभाकरे को नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भाजीभाकरे ने कार्य शुरू कर दिया है और फरवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे राज्य में ससाह में दो दिन मौजूद रहेंगी।

वह राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय सभी राजनीतिक दलों के राज्य व जिलास्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें भी करेंगी। वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से बैठकें करेंगी ताकि संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी व सहभागितापूर्ण ढंग से पूरी हो।

एसआईआर के विरोध में फ्लॉप होगी कांग्रेस की रैली : पटेल

जयपुर, 12 दिसम्बर (ब्यूरो) : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में 14 दिसंबर को एसआईआर के विरोध में कांग्रेस रैली को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। यह रैली फ्लॉप शो

साबित होगी। पटेल ने कहा कि कांग्रेस की तथाकथित रैली या आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलेगा। रैली को लेकर कांग्रेस भले कितने ही दावे करें, लेकिन हकीकत यही है इसमें राजस्थान से कोई जाने वाला नहीं है। देश का कोई नागरिक एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा। कांग्रेस इसे जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद गवाह हूं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि बीएलए 2 का काम बहुत अच्छा है, सब इसमें भागीदारी से जुड़े। अब कैसे वे इसका विरोध कर रहे हैं, समझ से परे हैं। कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कई राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को पता लगा कि राजस्थान से लोग रैली में नहीं आ रहे हैं तो उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना पड़ा। एसआईआर देश के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देती है।

एसआईआर की सफलता से बौखलाई कांग्रेस : दाधीच

जयपुर, 12 दिसंबर (ब्यूरो): भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की आदत हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का भारतीय लोकतंत्र और संविधान से भरोसा उठ गया है। स्थिति यह है कि कांग्रेस को यह भी स्वयं समझ नहीं आ रहा कि वह किस बात का विरोध कर रही है और क्यों कर रही है?

दाधीच ने कहा कि यह वही कांग्रेस है, जिसने 52 हजार बीएलओ नियुक्त किए हैं। उन्हीं बीएलओ ने समर्पण के साथ एसआईआर कार्य संभाला तो आज वह उन्हीं की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठा रही है? दिल्ली से नेताओं को बुलवाकर विरोध करना कांग्रेस की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान पूरी प्रक्रिया सम्पन्न हुई और आमजन इससे पूरी तरह संतुष्ट है। जनता का यह विश्वास कांग्रेस की राजनीति पर भारी पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस बिना तथ्य के भ्रम फैलाने में जुटी है।

निर्वाचन आयोग ने आठ राज्यों में पर्यवेक्षकों को तैनात किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से आठ राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की निगरानी के लिए 'विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों' (एसआरओ) को तैनात किया है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

बयान में कहा गया कि एसआरओ ने अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि वे फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक इन राज्यों में सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगे। इसमें कहा गया कि पर्यवेक्षक सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। एसआरओ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठकों में प्रत्यक्ष या आनलाइन माध्यम से भाग लेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसआइआर की संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और सहभागी तरीके से पूरी हो। वे एसआइआर प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो जाए।

चुनाव सुधार एक बार फिर चर्चा में है। विपक्षी दल सुधार के लिए तरह-तरह के सुझाव दे रहे हैं। हालांकि, चुनाव सुधार संबंधी ये सुझाव नए नहीं हैं। संसद में सुधार पर अवश्य बहस होनी चाहिए, पर 20 अगस्त, 1981 को लोकसभा में हुई बहस पर भी गौर कर लेना उपयोगी रहेगा। तब भी एक वरिष्ठ विपक्षी सांसद ने अनेक जरूरी सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुधारों के लिए पहल को तत्कालीन सरकार ने जरूरी नहीं माना था।

प्रजातंत्र की कमियों को दूर किया जाए

मधु दंडवते | तत्कालीन सांसद

- निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा निर्वाचित निडर संसद होनी चाहिए।
- स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जहां निर्वाचन संबंधी अपीलें की जाएं।
- स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जिसे किसी का भय न हो।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सभा सिफारिश करती है कि निर्वाचन सुधारों को लागू करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, जिससे वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके और उन्हें त्रुटियों, कमियों से मुक्त किया जा सके।'

इस प्रस्ताव का हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से बहुत महत्व है। यदि देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया जाए, तो आपको ज्ञात होगा कि तीन तत्व निर्वाचन प्रक्रिया के विकास तथा संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, हमारी संसद निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा निर्वाचित निडर संसद होनी चाहिए। हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसको निर्वाचन संबंधी अपीलें की जाएं और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जिसे किसी का भय न हो। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वे इन तीन मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, वे बंधुआ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित बंधुआ संसद लाना पसंद करेंगे। वे एक आज्ञाकारी न्यायपालिका लाना पसंद करेंगे, जिस पर दबाव डाला जा सके और आबद्ध निर्वाचन आयोग लाना पसंद करेंगे, जिसको फुसलाया जा सके और ब्लैकमेल किया जा सके। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वालों तथा सत्तावाद में विश्वास रखने वालों, जिनका लोकतांत्रिक जीवन से कोई सही संबंध नहीं है, दोनों के बीच यही अंतर है।

जहां तक देश में निर्वाचन सुधारों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि किसी ऐसी समिति या आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो समस्या की गहराई में जाए और पता लगाए कि हमारी प्रणाली की वास्तविक कमियां क्या हैं, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की क्या असफलताएं हैं और वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे सौभाग्य से पिछले कई सालों में कई समितियों तथा आयोगों ने समस्या का गहन अध्ययन किया है। जहां तक धन शक्ति का संबंध है, यह सब स्वीकार करते हैं कि यह सबसे गंभीर खतरा पैदा करती है। स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कई सेमिनारों में भाग लेते समय स्पष्ट रूप से कहा है कि धन शक्ति स्वतंत्र तथा न्यायोचित चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए उन्होंने चुनाव के लिए राज्य निधि बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी हिसाब लगाया है कि उनके सुझाव के कारण कितनी राशि खर्च होगी और यह सुझाव दिया कि आगामी पांच वर्षों के लिए, विभिन्न स्तरों पर खर्च करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राज्य निधि स्थापित की जाए। कुछ प्रचार के लिए, कुछ मान्यता प्राप्त दलों को राज्य सहायता के रूप में देने के लिए और कुछ निर्वाचन पैटर्न का मूल ढांचा तैयार करने के लिए खर्च की जाए।

माध्यम का दुरुपयोग एक बड़ी बात है। माध्यम का उपयोग उचित ढंग से किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में लोक संचार माध्यम की सुविधा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। वे अपने दृष्टिकोण का प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि संचार माध्यम का दुरुपयोग किया गया है। कुछ वर्गों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कुछ वर्षों के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे कि उचित रूप से इसका उपयोग किया जाए...।

इसके अतिरिक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस तथा अन्य प्रकार के प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का है। गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र में, उस बात को छोड़कर जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कही गई है और उस बात को भी छोड़ कर, जो कुछ शासक दल अथवा विरोधी दलों द्वारा कही गई है, हमें निर्वाचन आयोग द्वारा कही बात को समझने का प्रयास करना चाहिए।...चुनाव केंद्रों का प्रबंध, चुनाव केंद्रों का निरीक्षण, चुनावों केंद्रों की रक्षा, सभी बातों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। जब वास्तव में मत पेटिकाओं को चुनाव केंद्रों से केंद्रीय स्थान तक ले जाया जाता है, तब एजेंटों को समस्त प्रक्रिया की अवश्य ही निगरानी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित तारकुंडे समिति के सुझावों में से एक मुख्य सुझाव है। उस समिति ने कहा है कि यदि निर्वाचन आयुक्त के पद को लोकतांत्रिक बनाना है और इस संस्था को लोकतांत्रिक बनाना है, तो यह आवश्यक है कि अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग में केवल एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता अथवा उसके स्थान पर विरोधी पक्ष द्वारा चुना गया विरोधी पक्ष से संबंधित लोकसभा का कोई सदस्य और तीसरे सदस्य के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। यदि निर्वाचन आयोग में तीन व्यक्ति अर्थात देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता अथवा संसद में विरोधी मनोनीत तथा चुना गया व्यक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश हों, तो यह निर्वाचन आयोग की संस्था का लोकतंत्रीकरण होगा और इसके निर्णय व्यापक आधार वाले होंगे और लोगों को अधिक स्वीकार्य होंगे।...

मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रायः शिकायत सरकार के आचार के संबंध में होती है, जिसका चुनाव की घोषणा के समय से पालन किया जाता है। तारकुंडे समिति द्वारा एक स्वस्थ परंपरा की सिफारिश की गई है। उस समिति ने सुझाव दिया है कि चुनावों की घोषणा होने के समय से केंद्र अथवा राज्यों में संबंधित सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए और उसे समय के बाद उन सरकारों की नई नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए और कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए और वेतनों में कोई वृद्धि नहीं करनी चाहिए।...

यदि हम अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करते हैं, मूल परिवर्तन करते है, उसमें सुधार लाते हैं और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करते हैं, तो इस दुनिया को बता सकेंगे कि महात्मा गांधी के इस देश में गोली नहीं, बल्कि मतदान की जीत होती है। उस विश्वास के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

आमने-सामने

तत्काल चुनाव सुधार की जरूरत नहीं

पी शिवशंकर | तत्कालीन केंद्रीय विधि, न्याय मंत्री

- वह प्रमाणित नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या हो?
- संविधान में चुनाव आयुक्त की शक्तियों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है।
- यह तर्कसंगत आधार नहीं है। आपमें कानून की बिल्कुल समझ ही नहीं है।

चुनाव तथा चुनाव सुधार की आड़ में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। विशेषकर गढ़वाल में हुए चुनावों के दौरान हुई कुछ घटनाओं के संदर्भ में विपक्ष ने काफी भर्त्सना की है। मेरे पक्ष के सदस्यों ने - मैं उनमें से अनेक को बधाई देता हूं - गढ़वाल मध्यावधि चुनाव के संदर्भ में उनके आरोपों का उत्तर दिया है। जहां तक इस चुनाव का संबंध है, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पास किए गए आदेश का केवल सरसरी तौर पर उल्लेख करूंगा। मेरे निवेदन का अभिप्राय उनका किसी भी प्रकार से अपमान करना नहीं है, और ना ही ऐसा करने की मेरी धारणा है। मैं केवल उन कतिपय पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा, जिनका मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश में उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में मैं कहूं, संकल्प के प्रस्तोता (मधु दंडवते) चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाते रहे हैं। मैं यह नहीं समझ सका, क्योंकि वह अपने इस कथन को किसी भी तथ्य से प्रमाणित नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की अपेक्षित स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए?...

महोदय, यही कुछ उच्चतम न्यायालय ने गिल के मामले में कहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अनुच्छेद- 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, तब तक कार्य करना होता है, जब तक कि कोई कानून नहीं बना लिया जाता और जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है। दूसरे पहलुओं के बारे में उनकी शक्तियां अनुच्छेद- 324 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। कोई व्यक्ति यहां तक कह देता है कि क्या यह कहा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने का यह एक मामला है? मैं यह दुख के साथ कह रहा हूं कि यह अनुचित बात है, यह तर्कसंगत आधार नहीं है। आप में कानून की बिल्कुल समझ ही नहीं है। यदि आप शून्यकाल में प्रत्येक या सारे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहेंगे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु आप में से कइयों ने इतने अधिक तर्क दिए हैं कि मुझे अपनी राय में संशोधन करना पड़ रहा है। उससे अधिक मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए।...

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हर समय कुछ अधिकारियों, कुछ संस्थाओं के बहाने हमें उपदेश दिए जाते हैं। जैसा कि हम उनसे कम सचेत हैं। उनके कहने का अभिप्राय क्या है? मैं कहना चाहता हूं, इन संस्थाओं की स्वतंत्रता में बड़ी आस्था है। यदि मुझे यह कहने दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि विपक्षी सदस्य ऐसा शायद ठीक तरह समझे बिना करते हैं या कि वे जान-बूझकर इन संस्थाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को समझना नहीं चाहते हैं। मैं इस मामले को अधिक विस्तार देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा किया जाना जरूरी नहीं है।...चुनाव याचिका दायर किए बिना कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती और परिणाम घोषित किए बिना चुनाव याचिका भी दायर नहीं की जा सकती। यदि आप अब भी समझना न चाहें, तो और मैं क्या कह सकता हूं। मैं इस बारे में कह चुका हूं और मैंने इस बात को आप के फायदे के लिए दोहराया है। चुनाव सुधारों के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। दूसरे पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण बात सूची प्रणाली के बारे में कही गई है। उनमें से कुछ ने कहा है कि इसका कुछ भाग वर्तमान प्रणाली अर्थात साधारण बहुमत के अनुसार होना चाहिए और कुछ भाग सूची प्रणाली के आधार पर होना चाहिए।

यदि आपको व्यापक चुनाव करने हैं, तो आपको देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली से प्राप्त अनुभवों के हर पहलू पर विचार करना होगा। हमारे 30 वर्ष के अनुभव से उत्पन्न सभी प्रश्नों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संबोधित करने हेतु विचार करना पड़ेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के साथ बैठने तथा बातचीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि सरकारी अथवा विरोधी पक्ष प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझाव सरकार के पास विचाराधीन हैं। एक सुझाव मतदान मशीनों का भी है, सरकार यह अनुभव करती है कि इन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का पहले नगरपालिका चुनावों में या कुछ उपचुनावों में प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करके देखा जाए, जिससे बाद में इन उपकरणों के कार्य से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इन्हें मतदान के लिए विस्तृत क्षेत्र में काम में लाया जा सके।

मैं अन्य पहलुओं पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा, परंतु मैं इन मामलों पर बात करने को तैयार हूं और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री महोदया स्वयं चाहती हैं कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर किसी विशेष समय पर इन सभी विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि विपरीत मुद्दों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु मुझे अपने मंत्रालय में लगभग 17 से 18 महीने लग गए हैं, तो इसे समय लेने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता है कि हमने अपना समय बेकार गंवा दिया है। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णतया आवश्यक है कि निर्णयों के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, जब तक स्वयं सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती और आपसे बातचीत के लिए आगे नहीं आती, तब तक संभवतः आपको और अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

मैं प्रोफेसर मधु दंडवते से संकल्प को वापस लेने का निवेदन करूंगा, क्योंकि संकल्प की भाषा ऐसी है कि इसे लागू करना कठिन कार्य है। उनका कहना है, 'तुरंत कदम उठाए जाएं।' मेरी समझ में नहीं आता कि तात्कालिकता से क्या मतलब है? यदि तात्कालिकता से आपका मतलब तीन-चार वर्ष है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम यथासंभव शीघ्र कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे। इन परिस्थितियों में, इस संकल्प को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इस चुनाव सुधार संकल्प की आड़ में वह केवल कुछ व्यक्तियों के प्रति अपनी शिकायतों को प्रकाश में लाना चाहते हैं, जो कि यहां एक गलत बात है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)